(256)

Rs-30/-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्वमण्डल ग्वालियर सिर्कल सर्किट

(380)

कोर्ट रीवा, जिला रीवा

ईपंजीयन क्रमांक

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2018

II/निग/म.प्र./सतना/2018/01205

प्रस्तुत श्री महेन्द्र कुमार प्रतिहोत्री द्वारा पेश। 16-2-18 16-2-18

1- शंकर प्रसाद (शंकरप्रसाद तनय ददनप्रसाद)

2- रोहणीप्रसाद पिता स्व० ददन प्रसाद

3-चुनकामन पिता स्व० श्री रामशिरोमणि

4 श्रीमती मोती पत्नी स्व० ददन प्रसाद

कुल सभी निवासीगण ग्राम वडखेरा, तहसील विरसिंहपुर

जिला सतना म०प्र०

5- श्री मती चमेली त्रिपाठी पत्नी अवध प्रसाद त्रिपाठी

निवासी मचलण्डा, तहसीलविरसिंहपुर जिला सतना म०प्र०

6- श्रीमती लीला पाण्डेय पत्नी रामनिवास पाण्डेय पुत्रीश्री रामशिरोमणि

निवासी ग्राम मटिगवा, तहसील सेमरिया, जिला रीवा म०प्र०

7- श्री मतीगेदा मिश्रा पत्नी श्री मनोहन लाल मिश्रा निवासी

ग्राम परखव हाल निवासी नागचून तावाल के पास खण्डवा म०प्र०

8- श्रीमती चिरौंजी मिश्रा पत्नीश्री लालबहादुर मिश्र पुत्रीस्व०

रामशिरोमणि मिश्रा निवासी ग्राम टिकुरा अटरिया, बसामन मामा

के पास तहसील सेमरिया, जिलारीवाम०प्र०

--------------- आवेदकगण/ निगराकारगण

विरुद्ध

1- परमानंद ब्रा० तनय स्व० ददन प्रसाद निवासीग्राम वडखेरा,

तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना म०प्र०

2- रामनिजन पिता रामशिरोमणि ब्रा० निवासी वडखेरा,

तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना म०प्र०------ अनावेदकगण

गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध निणय व आदेश श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा
के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 512/ अपील/
13-14 मे पारित आदेश दिनांक 20-12-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता सन 1959ई0/

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमियो की मालिकत्व भूमिस्वामी राजस्व प्रलेखो मे सरुपा वाई वेवा रामाश्रय बे0 का नाम अंकित रहा है, रामाश्रय के विधिक यानी प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र या पुत्री नही थे, तथा उनकी मृत्यु हो जाने के वाद वारिसाना नामान्तरण सरुपवाई वेवा रामाश्रय केनाम अंकित किया गया।

श्रीमती सरुपवा वाई अपने हक वहिस्से की भूमि का पारिवारिस वटवारा जो उनके पति केनाम था। यानी आ0नं0 212/4 रकवा 0-049 हे0 228/3 रकवा 0-024 हे0 230 रकवा 0-283 हे0 जब कि उपरोे विवादित आराजीया के संबंध मे एक वसीयतनामा सरुपावाई द्वारा अपनीशुद्ध मानसिक स्थिति मेविना किसी भय व दवाव के दिनांक 17-1-1982 स्व0 वदन प्रसाद व रामशिरोमणि केनाम करवादिया सतना उसी अनुसार उसकी मृत्यु के वाद नामान्तरण हो गया, तथा वाद मे उत्तरवादी क्र01 द्वारा अविधिक तरीके से फर्जी वसीयतनामा दिनांक 20-1-2013

Rs-301

(256)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/(निग./भू.रा.)/18/1205 जिला– सतना

प्रेमकर प्रसाद विरूद्ध परमानन्द आदि

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कु. अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 512/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-12-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-2-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

गैरनिगराकारगण